न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 546/2013

गुरबचन सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख साकिन सतरणा तहसील अनूपगढ़

बनाम

1. परमजीत कौर पत्नी जरनेल सिंह जाति जटसिख साकिन चक 10 एम डी तहसील अनूपगढ़
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनयम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट्स श्री देवेन्द्र चुघ,
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स श्री पवन कुमार अरोड़ा

निर्णय दिनांकः 12.10.2017

1. अपील मे संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है चक 10 एमडी तहसील अनूपगढ़ के पत्थर न. 102/46 का किला न. 7 ता 10 रकबा राज था तथा वह इस मुरब्बा के भूमि मालिक ललित गोपाल के रकबा के साथ लगता होनें से कब्जा काश्त में था अपीलांट ने ललित गोपाल से रकबा जब खरीद किया तो पत्थर न. 102/46 का कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा इस प्रकार से किला न. 7 ता 10 जो कि रकबा राज था वह अपीलांट के कब्जा कास्त में चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने चुपचाप ही उक्त रकबा स्मालपेच में आवंटन करवाने का आदेश उपखण्ड़ अधिकारी अनूपगढ से दिनांक 19.6.2008 को जारी करवा लिया। इसके बारे में पता चलने पर अपीलांट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर में अपील संख्या 110/12 पेश की तथा इसके साथ धारा 96 जाब्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया मगर गलत तरीके से खारिज करने को कारण अपीलांट ने आदेश दिनांक 10.03.2013 राजस्व अपील प्राधिकारी एवं आदेश दिनांक 19.6.2008 उपखण्ड़ अधिकरी अनूपगढ़ के खिलाफ निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई जो कि अनवानी गुरूबचन सिंह बनाम परमजीत कौर आदि निगरानी संख्या 4855/13 से विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी है। इसी बीच में रेस्पो. ने इन्तकाल की कार्यवाही मिली भगत से करवा कर इंतकाल जैर अपील चुपचाप करवा लिया। उक्त आराजी पर अपीलांट का 50 सालों से कब्जा चला आ रहा है।
2. उक्तानुसार प्रार्थना पत्र 546/13 पर दर्ज की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में अपीलांट की ओर से वकील श्री देवेन्द्र चुघ उपस्थित हुए व रेस्पोडेंट्स की तरफ से श्री पवन कुमार अरोड़ा हाजिर आये। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मीमो ही मेरी बहस है। उक्त आराजी पर हमारा 50 सालों से कब्जा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने वादग्रस्त इंतकाल मुकदमों के चलते दर्ज करवाया है। इसी प्रकरण के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में स्थगन आदेश जारी है। अतः उक्त इंतकाल जालसाजी व तथ्यों को छुपाकर दर्ज करवाया गया है। अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल खारिज किया जावे।
3. वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार भू.अ. अनूपगढ़ द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 121 दिनांक 18.7.2013 के विरूद्व पेश की गई है। जबकि यह इंतकाल स्मालपेच आवंटन होने की ऐवज में दर्ज किया गया है। अपील का मुख्य कारण स्मालपेच आवंटन होना चाहिए था व सक्षम न्यायालय में स्मालपेच आवंटन की अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। इंतकाल के विरूद्व अपील पेश कर प्रकरण को मात्र घसीटा जा रहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

Scanned by CamScanner

(36)

हमने पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने से यह सिद्व होता है कि अपीलांट द्वारा यह अपील मात्र इंतकाल को आधार मानकर प्रस्तुत की गई है, जबकि स्मालपेच आवंटन के आधार पर ही इंतकाल दर्ज हुआ है। जिससे यह सिद्व होता है कि इंतकाल तो स्मालपेच आवंटन के आदेश की पालना में भरा गया है। अपीलांट ने उक्त स्मालपेच आवंटन के प्रति किसी प्रकार का कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया न ही अपनी बहस में स्मालपेच आवंटन के प्रति कोई साक्ष्य, सबूत पेश किये है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने भी उपखण्ड़ अधिकारी, अनूपगढ़ के निर्णय को सही माना है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन होनें के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 18.07.2013 यथावत् रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

24/10/17

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner